Note 2.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:-** Officers under the Central Government or the State Government or Union territories; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; **or** (ii) with five years regular service after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) bachelors' degree from a recognised University or Institute; (ii) five years' experience in enforcement of regulatory laws and collection of intelligence relating thereto; Desirable:- Experience of one year in investigation and supervision in any of the following fields :- (i) Drug related offences or Enforcement of criminal laws; (ii) Financial investigation; (iii) Money laundering; (iv) Economic Frauds or Offences. **Note 1.-**The Departmental Officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-**Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years on the closing date of receipt of application.	3. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Director General, Narcotics Control Bureau -Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 3. Deputy Director General, Narcotics Control Bureau -Member.	

[F. No. I-12014/45/2017-NCB-II]

NIRAJ KUMAR BANSOD, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में अपर निदेशक के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

4b1

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अपर निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** यहाँ इसके साथ संलग्न पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **निरर्हता: वह व्यक्ति-**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद है अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर निदेशक ।	8 (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-13 (123100-215900 रुपए) ।	चयन ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) में उप निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा विहित किसी अन्य संस्थान द्वारा संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किए गए दो सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति:-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारी; (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 (रु. 78800-209200) या उसके समकक्ष के पदों पर नियमित आधार पर	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य; 3. संयुक्त सचिव आंतरिक सुरक्षा-II, गृह मंत्रालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) नियामक विधियों को लागू करने और उनसे संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करने में दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय:- आर्थिक अपराधों सहित दांडिक अपराधों की जांच में चार वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1**-फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे; इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आती है, साधारणतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**-प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. I-12014/10/2022-एनसीबी-II]

नीरज कुमार बनसोड, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th November, 2024

G.S.R. 14.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Director in the Narcotics Control Bureau, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Additional Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** — No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation in age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Additional Director	8 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 75 per cent. by deputation; and (ii) 25 per cent. by promotion, failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director or Zonal Director in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the relevant areas imparted by the Narcotics Control Bureau or any other institute, as prescribed by the Narcotics Control Bureau. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Director General, Narcotics Control Bureau -Member; 3. Joint Secretary Internal Security-II, Ministry of Home Affairs -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

457

grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or the State Governments or Union territory Administrations,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five year's service rendered after appointment to the post on a regular basis in level- 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised University or institution; (ii) Ten years' experience in the enforcement of regulatory laws and collection of intelligence relating thereto. Desirable: Four years' experience in the investigation of criminal offences including economic offences. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. **Note 3:** The age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. I-12014/10/2022-NCB-II]

NIRAJ KUMAR BANSOD, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या करने का लोप हैं, गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापनी, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या , वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।